

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-जसाना

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

वाद पत्र सं0 : 154 सन 2011

अनवान :-

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. गुडडीदेवी पत्नि राधाकिशन जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
3. विजयसिंह पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. मन्जु 5 अन्जु पुत्रीयान राधाकिशन जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम

1. रणजीसिंह (फोट)
(1क.) श्रवण (1ख.) बलवीर पि0 रणजीतसिंह जाति जाट साकिन रायसिपुरा तहसील नोहर
- 2 मनफुलसिंह 3 हरीसिंह पि0 हरपतसिंह जाति जाट निवासी रायसिपुरा तहसील नोहर ।
4. रामचन्द्र पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर (फोट)
- 4/1. हनुमान 4/2. पवनकुमार 4/3 विमला पत्नि रामचन्द्र जाति जाट केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
5. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट ।

उपरिस्थित :- श्री माडुराम सहारण अभिभाषक, वादीगण

श्री विजय कडवासरा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 4/1 ता 4/3

निर्णय दिनांक :-

पत्रावली राजस्व लोक अदालत - 2018 कैम्प कोर्ट में पेश हुई संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद इस आशय का पेश किया की वादीगण व प्रतिवादीगण की रोही मौजा ननाउ के ख0न0 61 की 6.06बीधा, ख0न0 70 की 6.08 बीधा, ख0न0 78 की 35.00 बीधा कुल 47.14 बीधा भूमि मुश्तरका खाते की है जिसमें वादी न0 1 की 456 हिस्सा, वादीगण सं0 2 ता 5 का 456 हिस्सा, बहिब व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की 21 हिस्सा बहिब, प्रतिवादी सं0 4 की 21 हिस्सा भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खाता की भूमि होने के कारण किस्मभूमि व रकम बाबत झगडा रहता है इसलिये वादीगण अपना खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद पेश होने पर बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर तजबीज तकसीम की रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 2314 दिनांक 30.05.2017 को तजबीज तकसीम की रिपोर्ट पेश की जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षों को ऐतराज नहीं है बल्की सहमति पेश की गई है।

अतः वाद वादी तहसीलदार नोहर की तजबीज तकसीम रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि गुडडीदेवी पत्नि राधाकिशन उर्फ कृष्णलाल , विजयसिंह पुत्र कृष्णलाल उर्फ राधाकिशन मन्जु अन्जु पुत्रीया कृष्णलाल विजयसिंह पुत्र कृष्णलाल उर्फ राधाकिशन 5.767हैक् लक्ष्मीनारायण पुत्र सहीराम 5.767हैक् जाति जाट साकिन मुन्सरी खातेदार ,श्रवण बलवीर पि0 रणजीत सिंह जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा , मनफुल सिंह हरिसिंह पि0 हरपतसिंह जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर 0.2655हैक् हनुमान पवनकुमार पि0 रामचन्द्र विमला पत्नी रामचन्द्र जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी 0.2655हैक् खातेदार ग्राम ननाउ के खसरा न0 70/1 की 0.531हैक् बारानी भूमि रहेगी इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोर्ट-जसाना

अन्तिम पर्चा-डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 154 सन 2011

अनवान :-

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. गुडडीदेवी पत्नि राधाकिशन जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
3. विजयसिंह पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. मन्जु 5 अन्जु पुत्रीयान राधाकिशन जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादीगण

बनाम

- 1 रणजीसिंह (फोट)
(1क.) श्रवण, (1ख.) बलवीर पि0 रणजीतसिंह जाति जाट साकिन रायसिपुरा तहसील नोहर
- 2 मनफुलसिंह 3 हरीसिंह पि0 हरपतसिंह जाति जाट निवासी रायसिपुरा तहसील नोहर ।
4. रामचन्द्र पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर (फोट)
- 4/1. हनुमान 4/2. पवनकुमार 4/3 विमला पित्त रामचन्द्र जाति जाट केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
5. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 154 सन 2011 निर्णय दिनांक

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत - 2018 कैम्प कोर्ट में मुझ सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादीगण / प्रतिवादीगण व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार नोहर की तजबीज तकसीम रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि गुडडीदेवी पत्नि राधाकिशन उर्फ कृष्णलाल, विजयसिंह पुत्र कृष्णलाल उर्फ राधाकिशन मन्जू अन्जु पुत्रीया कृष्णलाल विजयसिंह पुत्र कृष्णलाल उर्फ राधाकिशन 5.767हैक लक्ष्मीनारायण पुत्र सहीराम 5.767हैक जाति जाट साकिन मुन्सरी खातेदार, श्रवण बलवीर पि0 रणजीत सिंह जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा, मनफुल सिंह हरिसिंह पि0 हरपतसिंह जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर 0.2655हैक हनुमान पवनकुमार पि0 रामचन्द्र विमला पत्नी रामचन्द्र जाति जाट साकिन केहरवाला तहसील टिब्बी 0.2655हैक खातेदार ग्राम ननाउ के खसरा न0 70/1 की 0.531हैक बारानी भूमि रहेगी इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रेमारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-जसाना

शिविर प्रेमारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-जसाना